



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(3)परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/स्थाना/पदस्था/APO/2018/ 477

जयपुर दिनांक 15/2/2021

—:आदेश:—

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर राज्यहित में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम अधिकारी सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	कहां से (पंचायत समिति)	कहां को (पंचायत समिति)	विशेष विवरण
1	पप्पूलाल मीणा	विभागीय आदेश क्रमांक 436 दिनांक 11.2.21 द्वारा प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पैतृक विभाग लौटाये जाने संबंधी आदेश को निरस्त कर।	बदनोर(भीलवाडा)	रिक्त पद पर
2	राजबाला मीणा	सांभर(जयपुर)	स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, राजीविका, जयपुर	—
3	विश्वनाथ शर्मा	भणियाना(जैसलमेर)	सांभर(जयपुर)	श्रीमती राजबाला मीणा के स्थान पर
4	सविता टी	नागौर(नागौर)	देलवाडा(राजसमन्द)	श्रीमती अर्चना मौर्य के स्थान पर
5	अर्चना मौर्य	देलवाडा(राजसमन्द)	नेछवा(सीकर)	रिक्त पद पर
6	प्रियंका मीणा	रायपुर(पाली)	स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, राजीविका, जयपुर	—
7	नारायण सिंह पुरोहित	देसूरी(पाली)	सरनाउ(जालौर)	रिक्त पद पर
8	भानूप्रताप सिंह हाडा	डग(झालावाड)	जयसमन्द(उदयपुर)	रिक्त पद पर
9	अर्जुन सिंह	गोगुन्दा(उदयपुर)	देसूरी(पाली)	श्री नारायण पुरोहित के स्थान पर
10	सुखराम विश्णोई	सम(जैसलमेर)	बाडमेर ग्रामीण(बाडमेर)	रिक्त पद पर
11	संत कुमार मीणा	पैतृक उच्च शिक्षा विभाग को लौटायी गयी सेवाओं के आदेश क्रमांक 118 दिनांक 15.1.21 को निरस्त कर।	यथावत तारानगर(चुरु)	—
12	मंगतुराम शर्मा	रैणी(अलवर) से खीवसर (नागौर) स्थानान्तरणाधीन	उमरैण(अलवर)	श्री कालूराम मीणा के स्थान पर

13	सुरेश कविया	बाडमेर(बाडमेर)	सम(जैसलमेर)	श्री सुखराम विश्‍नोई के स्थान पर
14	कालूराम मीणा	उमरैण(अलवर)	खीवसर(नागौर)	श्री मंगतुराम शर्मा के स्थान पर
15	विजेन्द्र कुमार शर्मा	बागौडा(जालौर)	भीण्डर(उदयपुर)	रिक्त पद पर
16	रामअवतार यादव	सीमलवाडा (डूंगरपुर) से अरथूना (बांसवाडा) स्थानान्तरणाधीन	हनुमानगढ(हनुमानगढ)	श्री राधेराम के स्थान पर
17	राधेराम	हनुमानगढ(हनुमानगढ)	वल्लभनगर(उदयपुर)	रिक्त पद पर

आदेश में वर्णित उपरोक्त अधिकारी प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित पदस्थापित स्थान से अविलम्ब कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति आदेशानुसार नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

(डॉ. प्रवीण कुमार)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त सचिव (एल.टी.) मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
7. जिला कलक्टर, संबंधित।
8. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति संबंधित।
10. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
11. ए.सी.पी मुख्यालय को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)